कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बांसवाड़ा

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा बेसिक कम्प्युटर अनुदेशक भर्ती 2022 में **टीएसपी क्षेत्र** हेतु चयनित अभ्यर्थी श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक – शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1/12102(200–बी)सी.भ./बेसिक कम्प्यू.अनु./2022 दिनांक 03.04.2023 द्वारा बांसवाडा जिला आवंटित किया गया है को पत्र में प्रदत निर्देशानुसार नियुक्ति/पदस्थापन हेतु आयोजित काउन्सलिंग फलस्वरूप अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की जॉच उपरान्त पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में सलग्न सूची में अंकित अयर्थियों को **बेसिक कम्प्युटर अनुदेशक** पद पर दिनांक 13.04.2023 को आयोजित काउंसलिंग में उनके द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल–8 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रक्षिशणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 18500/– रूपये प्रतिमाह अक्षरे अट्ठारह हजार पॉंच सौ रूपये (पूर्व मे सेवारत होने की स्थिति विद्यमान वेतन) पर निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

1. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधी में नियत मानदेय (Fixed Remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महगांई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महगांई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होंगें।
2. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधी में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियाँ की जाएगी।
3. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधी को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधी कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। पुलिस चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी नही होने पर ही कार्यग्रहण करावें। पूर्व में राजकीय सेवा में कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।
2. संबंधित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1) डीओपी/ए–।।/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानो के फलस्वरुप कुल सन्तानो की संख्या दो से अधिक नही होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50/– रु. का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रुप से प्राप्त किया जावे।
4. कार्यग्रहण करने स` पूर्व संबंधित अभ्यर्थी स` कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undretaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नही लिए जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र अवश्य लेना सुनिश्चित करे।
7. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम में भिन्नता पाये जाने पर इस बाबत शपथ पत्र प्राप्त करे।
8. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजो से कार्यग्रहण किये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्व टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
9. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
10. अनावश्यक लाभ रोकने के उद्देश्य से आवेदन पत्र में चस्पा फोटो से कार्यग्रहण करने वाले अभ्यर्थी से मिलान कर ले और यह सुनिश्चित कर लें कि जिस अभ्यर्थी ने चयन [illegible] परीक्षा दी [illegible] अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mavji Khant
Designation : District Education Officer
Date: 2023.04.20 12:53:20 IST
Reason: Approved

11. चयनित अभ्यर्थियो के पदस्थापन कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजो की जांच आवश्यक रुप से करे। कार्यग्रहण से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं अभ्यर्थी की विगत (details where about) की सही जांच कर कार्यग्रहण करवाया जायें। किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर संबंधित विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावेगी।
12. चयनित अभ्यर्थी की सूची में अभ्यर्थी के वर्ग इत्यादि में अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावें।
13. टीएसपी क्षैत्र में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार की नवीनतम अधिसुचना के अनुसार जारी किये गये पर ही कार्यग्रहण करवाया जावें ।
14. आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रो की जांच मूल प्रमाण पत्रो से कर ली जावे यदि जांच में किसी भी प्रकार की भिन्नता पायी जावे तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण ना करवाया जाकर उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवावे।
15. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/– रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटीपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
16. कार्यग्रहण कराने से पूर्व यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही राजस्थान राज्य सेवा में कार्यरत है तो पूर्व नियुक्ति अधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तो की पालना सुनिश्चित करें।
17. संबंधित संस्थाप्रधान अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय से प्राप्त कर लेवे।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **04.05.2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करे।
सलग्नः–आदेश सूची 1

(मावजी खांट)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांकः–जिशिअमु/मा/बांस/संस्था–1/बे.कम्प्यु.अनु 2022/2023/ दिनांकः–20.04.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. श्रीमान सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
6. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर ।
8. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा बॉसवाडा ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाडा।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प0स0......................................जिला बॉसवाडा ।
11. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. संबंधित पीईईओ...जिला बॉसवाडा ।
13. संबंधित संस्थाप्रधान..
14. सम्बन्धीत आशार्थी श्री..
15. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mavji Khant
Designation : District Education Officer
Date: 2023.04.20 12:53:20 IST
Reason: Approved

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांकः–जिशिअमु / मा / बांस / संस्था–1 / बे.कम्प्यु.अनु 2022 / 2023 /　　　　दिनांकः–20.04.2023

बेसीक कम्प्युटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 पदस्थापन आदेश

क्र. सं.	अभ्यर्थी फोटो	रोल नं.	मेरिट नं.	वर्ग	चयन वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	जि
1		321377	6004	GEN-EWS	GEN	DISHA PANDYA	MOHANLAL PANDYA	27-Sep-98	H. NO. - 259, KOKAPUR TEHSIL - SAGWARA DISTRICT - DUNGARPUR DUNGARPUR pincode 314023 Rajasthan	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NICHLA GHANTALA (223817) (08281011503)	BANSWARA	BAN WAR

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mavji Khant
Designation : District Education Officer
Date: 2023.04.20 12:53:20 IST
Reason: Approved